न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 3626/2016 प्रार्थना पत्र

काशीराम पिता जयचंद जी डांगी आयु व्यस्क निवासी चरलिया त0 निम्बाहेड़ा
— प्रार्थीगण

//बनाम//

नंदलाल पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवसी चरलिया त निम्बाहेड़ा
धनराज पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवासी चरलिया त. निम्बाहेडा
श्रीमती केसरबाई पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवासी चरलिया
रतनलाल पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवासी चरलिया त. निम्बाहेडा
शंकरलाल पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवासी चरलिया
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और सेः— अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार वेष्णव उपस्थित

आदेश

दिनांकः—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भोपाली पटवार हल्का भावलिया की खाता संख्या 12 आराजी नं. 7 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 9 रकबा 0.1100 हे0, आराजी न0 12 रकबा 0.1800 हे0, आराजी न0 14 रकबा 0.3200 हे0 कुल किता 4 कुल करबा 0.9200 हे0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की है । साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं ।

प्रार्थीगण वर्तमान में नये सेटेलमेंट होने के बाद प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजीयात जो पुराने नक्शा ट्रेसे में तरमीम नही होने था तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम कर दिया हैं । जहां पर प्रार्थी पर काबिज हैं वहां पर प्रार्थी का नक्शा ट्रेस में अंकन सही रूप से नही किया हैं जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुआ हैं तथा जहा पर प्रार्थी का कब्जा चल रहा हैं उस जगत विपक्षीगण का नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दिया हैं । उक्त नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से सेटलमेंट में नक्शा ट्रेस में गलत अंकन कर तरमीम कर दिया हैं तथा उक्त नक्शा ट्रेस में अंकन प्रार्थी के मोके पर कब्जे अनुसार नही किया हैं । इसीलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार अंकन कर कब्जे

अनुसार नक्शा ट्रेस व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के हवाले से ग्राम भोपाली प0ह0 भावलियां की आ0न0 7, 9, 12, 14 एंव्म प्रतिवादी गण की आ0न0 8, 10, 11, 13, 15, 16 गत भू प्रबंध साबिक आ0न0 2 व 117/2 से बने टुकडो से बने हैं प्रार्थी वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड वर्तमान आरजीयात एंवम् मौके पर कब्जा काश्त में भिन्नता हैं जिसका प्रार्थीवादी द्वारा वाद रूपन में भी अंकन किया गया हैं । प्रकरण में सवा पिता जयचंद डांगी के वारिसान पक्षकार नही है जिन्हे पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई किया जाना उचित होगा । अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें प्रेषित है ।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान पुराने रिकार्ड का नक्शा ट्रेस,नकल जमाबन्दी आदि प्रस्तुत किये हैं। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सवा पिता जयचंद डांगी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वह भी प्रभावित पक्ष है। बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा